फोन – 0154–2445048

निः शुल्क

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लि.

जिला श्रीगंगानगर

वर्ष : 20.....– .....

योजना का नाम .....

ऋण–आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जाति ..... 4. उम्र .....
5. निवास स्थान का पूरा पता .....
   .....
6. श्रेणी – महिला/पुरूष/विकलांग.....
7. शैक्षणिक योग्यता .....
8. समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय .....
9. बीपीएल चयन क्रमांक व वर्ष .....
10. परिवार के सदस्यों की कुल संख्या (राशन कार्ड संलग्न करें).....
11. परिवार के सदस्यों का विवरण –

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रार्थी से संबंध	व्यवसाय

12. व्यवसाय का नाम जो आप करना चाहते हैं .....
13. आपने आई.आर.डी.पी./उद्योग विभाग/अन्य विभागों से यदि कोई वित्तीय सहायता पूर्व में ली हो तो उसका विवरण

क्र.सं.	ईकाई का नाम	कुल ऋण	रूपये	कुल अनुदान	रूपये

14. परिवहन क्षेत्र के लिए वैध लाईसेंस का नं. व वैधता दिनांक.....
15. स्वच्छकार के लिए चयन क्रमांक व वर्ष : .....
16. क्या आवेदक लघु कृषक/ सीमांत कृषक/ ग्रामीण दस्तकार/ अन्य व्यक्ति हैं, ब्यौरा देवें।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही व सत्य हैं मैनें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं हैं एवं न मिथ्या प्रस्तुत किया हैं तथा निगम की ऋण योजनाओं में पूर्व लाभान्वित नहीं हुआ हूँ।

नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिया संलग्न करें :

1. जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्राप्त
2. वार्षिक आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्राप्त
3. नोटेरी पब्लिक से सत्यापित 10 (दस) रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड
5. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

फोन :- 0154-2445048

सहायता हेतु-आवेदन पत्र एवं इकरारनामा

सेवा में,
परियोजना प्रबंधक
(अनुजा प्रकोष्ठ)
कलैक्ट्रेट परिसर
श्रीगंगानगर

मैं..... पुत्र/पत्नी श्री.....
जाति..... ग्राम..... पंचायत..... तहसील.....
पंचायत समिति/न.पा..... का चयनित किसान खेती हर मजदूर हूँ मुझे आपकी योजनान्तर्गत..... कार्य के लिये.....रू. की आवश्यकता होगी जिसके लिये मैं..... बैंक शाखा की..... (कार्य का नाम) के लिये..... रूपये का ऋण स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर प्रार्थी

इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक..... मास..... सन्..... को एक पक्ष में राज. अनु. जाति. वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., श्रीगंगानगर (एतद् पश्चात् निगम कहलायेगा) तथा दूसरे पक्ष में श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी श्री.....
जाति..... ग्राम..... पंचायत..... एतद् जो चयनित लाभार्थी कहलायेगा, जिसके (अभिकर्ता में उसके उत्तराधिकारी, वारिस तथा अनुमति प्राप्त निगम हस्ताक्षर भी सम्मिलित होगा) के मध्य हुआ।

चूंकि चयनित लाभार्थी योजनान्तर्गत लाभान्वित होना स्वीकार करता है अतः निगम द्वारा निम्नांकित शर्तो के अनुबंध पर अनुदान देना स्वीकार किया जाता है। अतः निम्नलिखित रूप से इकरार किया जाता है। जिसका पालन दोनों पक्षों द्वारा किया जायेगा। प्रमाण स्वरूप उक्त इकरारनामा लिखा जाता है।

कार्य विकास का नाम	ऋण (बैंक द्वारा देय)	अनुदान (निगम द्वारा देय)	योग
1.			
2.			
3.			

1. इस कार्य के लिये अन्य किसी संस्थान से ऋण नहीं लेगा/न ही लिया है।
2. निगम की अनुमति के बिना जमीन/कुआं/पंम्पिग स्टेशन/पशुओं अन्य उपकरणों साधनों को न तो किसी को हस्तान्तरण करेगा और न गिरवी रखेगा न बेचेगा। जब कि समस्त ऋण की राशि का मय ब्याज भुगतान न हो तब एक यह ऋण देने वाली संस्था एवं निगम की सम्पत्ति समझेगा।
3. निगम व ऋण देने वाली संस्था के अधिकृत अधिकारी जमीन/कुआं/पंम्पिग स्टेशन अन्य उपकरणों इत्यादि का कभी भी निरीक्षण कर सकेगें।

4. चयनित व्यक्ति निगम द्वारा स्वीकृत किये गये रोजगार के लिये निगम द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार-
   1. निर्धारित नस्ल के पशु क्रय करेगा।
   2. क्रय किये गये पशुओं का निगम द्वारा (ब्रांडिग/ट्रेनिंग/टुटगिरिग) अंकित कराने की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
   3. पशु घर का निर्माण नक्शे या निर्देश के अनुसार करेगा।
   4. पशुओं की समुचित व्यवस्था (आहार की पानी की) करेगा।
   5. प्रजनन विधि अपनायेगा।
   6. यदि आवश्यकता हुई तो ट्रेनिंग लेगा।
   (ख) पशुओं द्वारा उत्पादित पदार्थ दूध/अण्डा/ऊन इत्यादि को जहां कही भी सुविधा उपलब्ध होगी सरकार के माध्यम से या निगम द्वारा निर्धारित विधि एवं व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य रूप से बेचेगा।
   (ग) पशुओं की मृत्यु होने की अवस्था में निगम, बैंक एवं विकास अधिकारी को अविलम्ब उचित कार्यवाही आदि को सूचित कर उपचार करेगा।
   (घ) पशु रोग ग्रसित हो तो अविलम्ब निकटतम पशु चिकित्सालय, ग्राम सेवक, पशुपालन प्रसार अधिकारी आदि को सूचित कर उपचार करेगा।
   (ड) संक्रामक रोग के नियंत्रण हेतु टीका लगवायेगा।
5. कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु उन्नत बीज, दवाईयां एवं विधियों को अपनायेगा।
6. समय पर ऋण की किश्तों का भुगतान करेगा।
7. निगम द्वारा निरीक्षक के लिये मांगे जाने वाले रिकार्ड व पशुओं को पेश करेगा तथा निर्धारित किये जाने वाले रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेगा।
8. योजनान्तर्गत प्राप्त पशुओं, उपकरणों का अनिवार्य रूप से बीमा करायेगा।
9. पम्पिंग सैट में खराबी हो जाने अथवा जल जाने पर (बीमें का अपने हिस्से की राशि स्वयं जमा करायेगा या बैंक द्वारा भेजे जाने पर संबंधित बैंक का अधिकार हेगा) निगम को सूचित करेगा।
10. उपरोक्त बातों की पालना करने में असफल होने पर व्यक्ति को उसके द्वारा प्राप्त की गई राजकीय सहायता व बैंक ऋण एकमुश्त लौटाना होगा। निगम के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी का इस विषय में निर्णय अन्तिम होगा एवं नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

जिला राज. अनु. जाति जनजाति वित्त एवं सह. निगम लि., श्रीगंगानगर का यह अधिकार होगा कि लाभान्वित द्वारा उपरोक्त बातें नहीं करने की दिशा में उसे दी गई राजकीय अनुदान की राशि राज. लोक मार्ग अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार वसूली कर लें।

यह इकरारनामा उपरोक्त तिथि में प्रारम्भ होकर ऋण की अन्तिम किश्त भुगतान की जाने की अवधि के लिये प्रभावशाली होगा। जिसके साक्ष्य में निगम के अध्यक्ष की ओर से परियोजना प्रबन्धक को हस्ताक्षर के लिये अधिकृत किया गया है तथा ऊपर निर्दिष्ट चयनित ने उपरोक्त दिनांक व वर्ष को हस्ताक्षर कर दिए है।

हस्ताक्षर प्रार्थी
हस्ताक्षर प्रमाणित

परियोजना प्रबन्धक
राज. अनु. जा. ज. वित्त एवं
विकास सह. निगम., लि0, श्रीगंगानगर

आयुक्त/विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी

आयुक्त/विकास अधिकारी/ अधिशाषी अधिकारी का अग्रेषण प्रमाण–पत्र

क्रमांक : दिनांक : .....

सहायता हेतु मूल आवेदन पत्र परियोजना प्रबन्धक, राज.अनु.जाति जनजाति वित्त एवं विकास सह. निगम लि. श्री गंगानगर को प्रेषित कर प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। इनके प्रार्थना पत्र. का मेरे द्वारा जांच कर ली गई एवं सही पया गया अतः ऋण/अनुदान देने की सिफारिश की जाति है।

आयुक्त/विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी